

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:- एफ.3(ग)/ एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-11/2008-91 दिनांक:- 25.02.2014

आदेश संख्या 388/2013-14

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(7) वित्त(नियम)/2008/ दिनांक 12.9.2008 एवं आदेश संख्या एफ.11(7) वित्त (नियम) पार्ट-1/ 2008 दिनांक 6.10.2008 के अनुसरण में निम्नांकित लेखाकारों जिन्होंने लेखाकार के पद पर 18 वर्ष की निरन्तर सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली है, को कनिष्ठ लेखाकार के पद का द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति (ए.सी.पी) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प. 14(88)वित्त (नियम) 2008 दिनांक 5 जुलाई,2013 के अनुसरण में उनके नाम के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 5 में उल्लेखित दिनांक से पे-बेण्ड 2(9300-34800) में ग्रेड पे 4800/- में स्वीकृत की जाती हैं।

क्र.सं.	नाम कनिष्ठ लेखाकार /लेखाकार सर्व श्री	जन्मतिथि	क.लेखाकार पद पर प्रथम कार्यग्रहण तिथि	द्वितीय एसीपी देय तिथि	विशेष विवरण
1	2	3	4	5	
01.	पप्पू लाल मीणा	24.04.1969	11.07.95	11.07.13	
02.	बृजराज मीणा	25.11.1970	04.07.95	04.07.13	
03.	नवल किशोर मीणा	05.01.1964	07.07.95	07.07.13	

उक्त लेखाकारों को वित्त विभाग के आदेश क्रमांक प014 (88) वित्त/ नियम/2008 दि0 31.12.2009 में दी गई शर्तों के संबंध में सन्तोषजनक सेवा संबंधी प्रमाण पत्र तथा संतान संबंधी घोषणा प्राप्ति के आधार पर आश्वासित कैरियर प्रगति(एसीपी) स्वीकृत की जाती हैं।

उपरोक्त क्रम संख्या 2 पर उल्लेखित लेखाकार के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन नियमानुसार उपलब्ध नहीं होने पर गत 9 वर्षों में से 7 वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन की उपलब्धता के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति इस शर्त पर स्वीकृत की जाती है कि भविष्य में प्राप्त उक्त अवधि के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन में प्रतिकूल प्रविष्टि होने पर प्रकरण पुनः खोला जावेगा तथा वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन के आधार पर द्वितीय आश्वासित कैरियर प्रगति के बारे में निर्णय लिया जाकर तदनुसार संशोधित कर दिया जावेगा।

उपर्युक्त लेखाकारों का वेतन निर्धारण वित्त विभाग के उक्त आदेश दिनांक 12.9.2008 के पैरा 19 के अनुसार संशोधित कार्यालयाध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया जावेगा। वेतन निर्धारण से पूर्व कार्यालयाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जावे कि संबंधित कर्मचारी संशोधित वेतनमान 2008 में वेतन प्राप्त कर रहा हैं एवं एसीपी स्वीकृति तिथि को इनके विरुद्ध कोई विभागीय जाच लम्बित नहीं हैं। इस स्वीकृति व वेतन निर्धारण की प्रविष्टि आवश्यक रूप से संबंधित लेखाकार की सेवापुस्तिका में की जावे।

(वीरबाला जोशी)

निदेशक

क्रमांक:- एफ.4(ई)द्वितीय एसीपी 92 (रिजर्व)/अलेसे-11/2008-91 दिनांक 25/02/2014

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

- 1 विभागाध्यक्ष/ कार्यालयध्यक्ष
- 2 श्री.....कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय
- 3 निजी सहायक, निदेशक महोदय
- 4 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1) (गोपनीय शाखा) को प्रेषित कर लेख है कि उक्त लेखाकार के भविष्य में वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कोई प्रतिकूल प्रविष्टि प्राप्त होती है, तो उनके प्रकरण को पुनः खोले जाने के प्रस्ताव इस शाखा को प्रेषित करें।
- 5 उपनिदेशक(एसीपी) /निजी/गार्ड फाईल ।

(कै0एम0मीणा)

अतिरिक्त निदेशक(कार्मिक-1)